क्रमांक 3326100/829/2018 831
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष.2552646, 2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email- encwrdbpl mp@ nic.in

भोपाल ,दिनांक.15/4/19

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
....

विषयः— कार्यभारित समयपाल एवं प्रोग्रसमेन द्वारा वेतन विसंगति हेतु दायर न्यायालयीन प्रकरणों के विषय में

विभाग के अनको समयपाल एवं प्रोग्रेसमेन द्वारा वेतन विसंगति हेतु न्यायालयीन वाद किये गए है। माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों में W.P.4413/18 लेखसिंह यादव एवं W.P. 11752/18 रामनिहोर कोल के प्रकरणों का उदाहरण देकर निर्णय पारित किए गऐ है। लेखसिंह यादव एवं रामनिहोर कोल के प्रकरण में विधि विभाग से रिट अपील की अनुमति प्राप्त की गई है। इस प्राप्त अनुमति के आधार पर, ऐसे अन्य समान प्रकरणों में जिनमें लेखसिंह यादव अथवा रामनिहोर कोल के प्रकरण का उदाहरण देकर निर्णय पारित किया गया है, में भी रिट अपील की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी प्रकरणों में इस कार्यालय द्वारा रिट अपील दायर किए जाने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जा चुके है एवं उनमें उक्त दोनो प्रकरणों की विधि विभाग से प्राप्त रिट अपील की अनुमति के आधार पर ही रिट अपील दायर की जाना है।

यदि वादियो द्वारा कोई अवमानना याचिका इस विषय में लगाई जाती है तो कृपया शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर माननीय न्यायालय को यह अवगत करावे की प्रकरण में रिट अपील दायर की गई है एवं वादी के अभ्यावेदन का निराकरण रिट अपील के निर्णय के बाद ही किया जा सकेगा।

कृपया अपने कछारान्तर्गत ऐसे प्रकरणो में प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे शासकीय अधिवक्ता से तत्काल संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें।

सहपत्रः—विधि विभाग से प्राप्त रिट
अपील की अनुमति।

(अमिताभ मिश्रा) 15/4
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 3326100 / ~~872~~ 829 / 2018 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः—

1. समस्त प्रभारी अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग......................................की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वेब मेनेजर।

सहपत्रः—विधि विभाग से प्राप्त रिट
अपील की अनुमति।

हस्ता/—

(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

829

क्रमांक 3326100/~~872~~/2018
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल 462003
दूरभाष.2552646, 2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email- encwrdbpl mp@ nic.in

भोपाल ,दिनांक.   /   /

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
....

विषयः– कार्यभारित समयपाल एवं प्रोग्रसमेन द्वारा वेतन विसंगति हेतु दायर न्यायालयीन प्रकरणों के विषय में

विभाग के अनको समयपाल एवं प्रोग्रेसमेन द्वारा वेतन विसंगति हेतु न्यायालयीन वाद किये गए है। माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों में W.P.4413/18 लेखसिंह यादव एवं W.P. 11752/18 रामनिहोर कोल के प्रकरणों का उदाहरण देकर निर्णय पारित किए गऐ है। लेखसिंह यादव एवं रामनिहोर कोल के प्रकरण में विधि विभाग से रिट अपील की अनुमति प्राप्त की गई है। इस प्राप्त अनुमति के आधार पर, ऐसे अन्य समान प्रकरणों में जिनमें लेखसिंह यादव अथवा रामनिहोर कोल के प्रकरण का उदाहरण देकर निर्णय पारित किया गया है, में भी रिट अपील की अनुमति दी गई है। ऐसे सभी प्रकरणों में इस कार्यालय द्वारा रिट अपील दायर किए जाने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जा चुके है एवं उनमें उक्त दोनो प्रकरणों की विधि विभाग से प्राप्त रिट अपील की अनुमति के आधार पर ही रिट अपील दायर की जाना है।

यदि वादियो द्वारा कोई अवमानना याचिका इस विषय में लगाई जाती है तो कृपया शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर माननीय न्यायालय को यह अवगत करावे की प्रकरण में रिट अपील दायर की गई है एवं वादी के अभ्यावेदन का निराकरण रिट अपील के निर्णय के बाद ही किया जा सकेगा।

कृपया अपने कछारान्तर्गत ऐसे प्रकरणो में प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे शासकीय अधिवक्ता से तत्काल संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें।

सहपत्रः–विधि विभाग से प्राप्त रिट
अपील की अनुमति।

ह०/–
(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 3326100 / ~~872~~ 829 / 2018 832 भोपाल दिनांक 15-4-19

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रभारी अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग.......................................की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वेब मेनेजर।

सहपत्रः–विधि विभाग से प्राप्त रिट
अपील की अनुमति।

A. Mishra
12/4

(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

4(ए)/8391/2018/8391/21-(या0),

भोपाल, दिनांक 20/11/2018

महाधिवक्ता,

मान0 उच्च न्यायालय,

जबलपुर, मध्यप्रदेश

:- रिट याचिका क्र0 WP/11752/2018 श्री रामनिहोर कोल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 05-10-2018 के विरुद्ध रिट अपील के संबंध में।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 05-10-2018 के विरुद्ध मान0 उच्च [न्या]लय जबलपुर, मध्यप्रदेश के समक्ष रिट अपील प्रस्तुत की जाए।

प्रशासकीय विभाग द्वारा रिट अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव 8 दिन विलंब से प्रस्तुत किया गया है।

अत: रिट अपील तत्काल प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(Digitally Signed)

(रजनी पंचौली)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र0 4(ए)/ 8391/2018/8391/21-(या0),

भोपाल, दिनांक 20/11/2018

लिपि:-

सचिव, म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर उनके यू0ओ0क्र0 2186/18, दिनांक 03/11/2018 के संदर्भ में नस्ती सहित [प्रेषित] कर लेख है कि प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे कि वह तत्काल महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश से संपर्क कर मान0 उच्च [न्या]यालय में रिट अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। साथ ही देरी के तथ्य को स्पष्ट करने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(Digitally Signed)

(रजनी पंचौली)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

Digitally Signed By
RAJNI PANCHOLI
20 November 2018 12:29 PM

03/11/2018
24/11/2018

2161/18/P-1/31(05)
24/11/18

आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्र0 4(ए)/8390/2018/8390/21-(या0),

भोपाल, दिनांक 16/11/201

प्रति,

महाधिवक्ता,

मान0 उच्च न्यायालय,

जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय:- रिट याचिका क्र0 4413/2018 श्री लेखसिंह यादव प्रोग्रेसमेन एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 25-09-2018 के विरूद्ध रिट अपील के संबंध में।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 25-09-2018 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश के समक्ष रिट अपील प्रस्तुत की जाए।

प्रशासकीय विभाग द्वारा रिट अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव 18 दिन विलंब से प्रस्तुत किया गया है।

अतः रिट अपील तत्काल प्रस्तुत करें।

03/11/2018
21/11/2018

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(Digitally Signed)

(रजनी पंचौली)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा0क्र0 4(ए)/8390/2018/8390/21-(या0),

भोपाल, दिनांक 16/11/2018

प्रतिलिपि:-

सचिव, म0प्र0 शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर उनके यू0ओ0क्र0 2185/18, दिनांक 03/11/2018 के संदर्भ में नस्ती सहित भेजकर लेख है कि प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे कि वह तत्काल महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश से संपर्क कर मान0 उच्च न्यायालय में रिट अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। साथ ही देरी के तथ्य को स्पष्ट करने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(Digitally Signed)

(रजनी पंचौली)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

Digitally Signed By
RAJNI PANCHOLI
16 November 2018 01:07 PM

पं.क्र. 2160/18/21/31/(क)
दिनांक 22/11/18

उत्ताउमाट अग्रिम कार्यवाही हेतु।

Enc